**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**28.12.2018 के**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1910 का उत्‍तर**

**कर्णाटक में सरकारी रेलवे पुलिस (जी.आर.पी.) की संस्वीकृत संख्या**

**1910. श्री के.सी. राममूर्तिः**

**श्री डी. कुपेन्द्र रेड्डीः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि कर्णाटक में सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) की संस्वीकृत संख्या 1980 से 900 है;

(ख) क्या यह सच है कि कानून और व्यवस्था का उचित रखरखाव करने, अपराध की रोकथाम करने और उसका पता लगाने तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए संस्वीकृत संख्या को बढ़ाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों से मांग की गई है;

(ग) क्या मंत्रालय ने इस संबंध में संबंधित रेल मंडलों से परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है; और

(ङ) इस संबंध में मंत्रालय अपनी अंतिम स्वीकृति कब देगा और मौजूदा आवश्यकताओं के अनुसार वह जीआरपी की संस्वीकृत संख्या में संशोधन कब करेगा?

**उत्‍तर**

**रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

1. से (ङ): राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) राज्‍य पुलिस का विंग है जो संबंधित राज्‍यों के नियंत्रण में कार्य करता है। राजकीय रेलवे पुलिस में पदों के सृजन के मार्गनिर्देशों में यह प्रावधान है कि अपने संबंधित वित्‍त का अनुमोदन प्राप्‍त करके राज्‍य सरकार अपने प्रस्‍तावों को जोनल रेलों के महाप्रबंधकों को भेजती हैं। महाप्रबंधक इसे स्‍वीकृति प्रदान करने के लिए अपने सह-वित्‍त के परामर्श से इन प्रस्‍तावों की जांच करवाते हैं और यदि इसे व्‍यावहारिक समझा जाता है तो इसे रेल मंत्रालय के अनुमोदन के लिए रेलवे बोर्ड को भेजा जाता है।

अत: जन-शक्ति की आवश्‍यकता का आकलन करना तथा राजकीय रेलवे पुलिस की संख्‍या बढ़ाने का प्रस्‍ताव करना संबंधित राज्‍यों के क्षेत्राधिकार में आता है और इस पर विद्यमान प्रावधानों के अनुसार रेल मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है।

कर्नाटक राज्‍य, दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण मध्‍य रेलवे, दक्षिण रेलवे तथा मध्‍य रेलवे के क्षेत्राधिकार में आता है। इस समय, रेलवे बोर्ड स्‍तर पर विचार के लिए दक्षिण मध्‍य रेलवे से राजकीय रेलवे पुलिस के 63 पदों को स्‍वीकृत करने का प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुआ है।

\*\*\*\*\*